

परीक्षार्थी की श्रेणी (परीक्षार्थी टाइप-1)— परीक्षार्थी निम्नांकित क्रम 23 से 31 तक की जिस श्रेणी से सम्बन्धित हो केवल उस श्रेणी की सूचनाओं को ही अंकित करे:—

23. इण्टरमीडिएट वर्ष 2018 की व्यक्तिगत परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय से परीक्षार्थी का इण्टरमीडिएट में अनुत्तीर्ण होने सम्बन्धी विवरण:—

इण्टरमीडिएट अनुत्तीर्ण होने का वर्ष..... अनुक्रमांक.....

विद्यालय का नाम जहां से अनुत्तीर्ण हुआ है.....

जनपद एवं विद्यालय का कोड जहां से अनुत्तीर्ण हुआ है:—जनपद कोड.....विद्यालय कोड.....

24. इण्टरमीडिएट वर्ष 2018 की व्यक्तिगत परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु कक्षा-12 के लिये पत्राचार शिक्षा संस्थान उ0प्र0 इलाहाबाद के एक वर्षीय पत्राचार पाठ्यक्रम हेतु पंजीकरण कराने वाले परीक्षार्थियों हेतु

एक वर्षीय पत्राचार पंजीकरण कराने का वर्ष.....पत्राचार पंजीकरण संख्या(14 अंकीय).....

एक वर्षीय पत्राचार पंजीकरण कराने वाले केन्द्र का विद्यालय कोड एवं नाम.....

कक्षा-11 उत्तीर्ण करने का वर्ष..... कक्षा-11 की अग्रिम पंजीकरण संख्या.....

विद्यालय का नाम जहां से कक्षा-11 में अग्रिम पंजीकरण हुआ है.....

बोर्ड का नाम जहां से कक्षा-11 में अग्रिम पंजीकरण हुआ है.....

जनपद एवं विद्यालय का कोड जहां से अग्रिम पंजीकरण हुआ है:—जनपद कोड.....विद्यालय कोड.....

नोट:— दिनांक 01 अप्रैल 2017 से वर्ष 2018 की बोर्ड परीक्षा हेतु व्यक्तिगत आवेदनपत्र भरने की अंतिम तिथि के मध्य एक वर्षीय पत्राचार पंजीकरण कराने वाले कक्षा-11 उत्तीर्ण परीक्षार्थी ही वर्ष 2018 की इण्टरमीडिएट परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र हैं।

25. इण्टरमीडिएट वर्ष 2018 की व्यक्तिगत परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये पत्राचार शिक्षा संस्थान उ0प्र0 इलाहाबाद के दो वर्षीय पत्राचार पाठ्यक्रम हेतु पंजीकरण कराने वाले परीक्षार्थियों हेतु

दो वर्षीय पत्राचार पंजीकरण कराने का वर्ष.....पत्राचार पंजीकरण संख्या(14 अंकीय).....

दो वर्षीय पत्राचार पंजीकरण कराने वाले केन्द्र का नाम.....

नोट:— दिनांक 01 अप्रैल 2016 से 31 दिसम्बर 2016 के मध्य दो वर्षीय पत्राचार पंजीकरण कराने वाले परीक्षार्थी ही वर्ष 2018 की इण्टरमीडिएट परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र हैं। 31 दिसम्बर 2016 के पश्चात दो वर्षीय पत्राचार पंजीकरण कराने वाले परीक्षार्थी वर्ष 2018 की परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र नहीं हैं, ऐसे परीक्षार्थी वर्ष 2019 की इण्टरमीडिएट परीक्षा में ही सम्मिलित हो सकेंगे।

26. विधि द्वारा स्थापित अन्य शिक्षा बोर्डों से परीक्षार्थी का कक्षा-11 उत्तीर्ण होने अथवा इण्टरमीडिएट या उसके समकक्ष परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने सम्बन्धी विवरण:—

शिक्षा बोर्ड का नाम जहां से कक्षा-11 उत्तीर्ण किया है.....

कक्षा-11 उत्तीर्ण करने का वर्ष.....कक्षा-11 की पंजीकरण संख्या.....

विद्यालय का पूरा नाम जहां से कक्षा-11 उत्तीर्ण हुआ है.....

अथवा

शिक्षा बोर्ड का नाम जहां से इण्टरमीडिएट या उसके समकक्ष परीक्षा अनुत्तीर्ण है.....

इण्टरमीडिएट या उसके समकक्ष परीक्षा अनुत्तीर्ण होने का वर्ष..... अनुक्रमांक.....

विद्यालय का पूरा नाम जहां से अनुत्तीर्ण हुआ है.....

27—पूर्व में इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके वे छात्र/छात्रा जो उत्तीर्ण कर चुके विषयों के अतिरिक्त परिषद विनियम के अन्तर्गत अन्य विषयों (एक साथ अधिकतम 4 विषयों) में सम्मिलित होना चाहते हैं।

शिक्षा बोर्ड का नाम जहां से इण्टरमीडिएट या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण किया है.....

इण्टरमीडिएट या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष..... अनुक्रमांक.....

विषयों का कोड एवं नाम जिसमें सम्मिलित होना है 1.....2.....3.....4.....

28—कारागार में निरुद्ध बन्दी छात्र/छात्रा।

शिक्षा बोर्ड का नाम जहां से हाईस्कूल या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की है.....

हाईस्कूल या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष..... अनुक्रमांक.....

अथवा

शिक्षा बोर्ड का नाम जहां से इण्टरमीडिएट या उसके समकक्ष परीक्षा अनुत्तीर्ण है.....

इण्टरमीडिएट या उसके समकक्ष परीक्षा अनुत्तीर्ण होने का वर्ष..... अनुक्रमांक.....

कारागार का नाम जहां परीक्षार्थी निरुद्ध है.....

29—भारतीय सेना में नियमित रूप से कार्यरत सैन्यकर्मों।

शिक्षा बोर्ड का नाम जहां से हाईस्कूल या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की है

हाईस्कूल या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष..... अनुक्रमांक.....

अथवा

शिक्षा बोर्ड का नाम जहां से इण्टरमीडिएट या उसके समकक्ष परीक्षा अनुत्तीर्ण है.....

इण्टरमीडिएट या उसके समकक्ष परीक्षा अनुत्तीर्ण होने का वर्ष..... अनुक्रमांक.....

सैन्य कर्मों भारतीय सेना की किस रेजीमेन्ट में कार्यरत है.....

नोट:—सैन्य कर्मों को सेना का अपना पहचानपत्र /नियुक्तिपत्र की प्रमाणित फोटोप्रति इस आवेदनपत्र के साथ संलग्न करना होगा।

30—कक्षा 10 उत्तीर्ण करने के पश्चात आई0टी0आई0 उत्तीर्ण छात्र/छात्रा जो इण्टरमीडिएट की समकक्षता प्राप्त करने हेतु विनियमों के अन्तर्गत केवल हिन्दी/सामान्य हिन्दी विषय से इण्टरमीडिएट की परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं।

शिक्षा बोर्ड का नाम जहां से हाईस्कूल या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की है

हाईस्कूल या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष..... अनुक्रमांक.....

आई0टी0आई परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष..... अनुक्रमांक.....

संस्था का नाम व पता जहां से आई0टी0आई परीक्षा उत्तीर्ण की है.....

31— परीक्षार्थी की श्रेणी (परीक्षार्थी टाईप-2)(✓ करें)

दृष्टि—बाधित	विकलांग(चलने फिरने में पूर्ण अक्षम)

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त आवेदनपत्र की समस्त प्रविष्टियों की जांच कर ली गई है, समस्त विवरण शुद्ध एवं सत्य हैं। परीक्षार्थी के कक्षा-11 के अग्रिम पंजीकरण कार्ड की वैधता की जांच परिषद की वेबसाइट upmsp.edu.in से तथा इण्टरमीडिएट परीक्षा अनुत्तीर्ण के अंकपत्र की वैधता की जांच परिषद की वेबसाइट upmspresults.up.nic.in तथा upmsp.edu.in से कर ली गई है, जो वैध एवं सत्य है।

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर
स्थायी पता.....

जांचकर्ता का हस्ताक्षर
दिनांक:

अग्रसारण विद्यालय के प्रधानाचार्य का हस्ताक्षर
एवं मुहर

पत्रव्यवहार का पता.....

नोट:— 1—व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के लिये(यथास्थिति) एक वर्षीय/दो वर्षीय पत्राचार अनुसरण प्रमाणपत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। केवल उपर्युक्त परीक्षार्थी टाईप-2 के श्रेणी 1 से 2 तक के दृष्टि—बाधित, चलने फिरने में पूर्णतया अक्षम, एवं भारतीय सेना में नियमित कार्यरत, अथवा गत वर्ष के अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों को पत्राचार अनुसरण प्रमाणपत्र की अनिवार्यता से छूट रहेगी।

विनियम-17(2) अध्याय बारह के अन्तर्गत परीक्षार्थी (कम्प्यूटर, कृषि वर्ग तथा व्यावसायिक वर्ग के विषयों को छोड़कर) अधिकतम चार विषयों में परीक्षा में सम्मिलित हो सकता है।

2— परीक्षार्थी यदि कहीं सेवा(नौकरी) करता है तो उसे परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु विभागीय अनुमति एवं सचचरित्रता का प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर

उपरोक्त विवरण परीक्षार्थी ने स्वयं भरा है जो उसके द्वारा इस विद्यालय में प्रस्तुत किये गये अभिलेखों के अनुसार सत्य हैं।

जांचकर्ता के हस्ताक्षर

अग्रसारण विद्यालय के प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का घोषणा-पत्र/अनुबन्ध-पत्र

सेवा में,

सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र०, इलाहाबाद

महोदय,

मैं इण्टरमीडिएट परीक्षा वर्ष 2018 में व्यक्तिगत छात्र के रूप में सम्मिलित होने की प्रार्थना करता/करती हूँ। मैंने निर्धारित परीक्षा शुल्क एवं अंकपत्र शुल्क जमा कर दिया है। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि परीक्षा अवधि में न तो कोई अवैध सामग्री अपने साथ ले जाऊंगा/जाऊंगी और न ही किसी तरह के अनुचित साधन का प्रयोग करूंगा/करूंगी। इस आवेदनपत्र में अंकित सभी विवरण सत्य हैं तथा मेरे द्वारा उपहृत विषयों का संयोजन वर्गानुसार है। मैंने कोई असंगत विषय नहीं लिया है। आवेदनपत्र के समस्त स्तम्भों की पूर्ति मैंने स्वयं की है। मैंने परीक्षा के लिये वही विषय चयनित किये हैं जो परिषद के विनियमों के अनुसार मान्य हैं। इस आवेदनपत्र को भरने में मैंने कोई तथ्य छिपाया नहीं है। मैंने इस वर्ष 31 जुलाई के पश्चात किसी भी शिक्षा संस्था में कोई शिक्षा प्राप्त नहीं की है तथा मैं इस परिषद की इण्टरमीडिएट परीक्षा के समकक्ष किसी अन्य परिषद द्वारा संचालित परीक्षा में भी इस वर्ष सम्मिलित नहीं हो रहा/रही हूँ। मैंने हाईस्कूल की परीक्षा अनुक्रमांक..... से वर्ष..... में उत्तीर्ण कर ली है। मेरा इण्टरमीडिएट का परीक्षाफल अभी तक रूका है जिसका वर्ष..... अनुक्रमांक..... है। इस रूके परीक्षाफल के सम्बन्ध में निर्णय की सूचना मिलते ही आदेश-पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि परिषद कार्यालय को अविलम्ब भेज दूंगा। रूके परीक्षाफल के सम्बन्ध में तथा उसके आधार पर वर्ष 2018 की परीक्षा के सम्बन्ध में परिषद का जो भी निर्णय होगा वह मुझे मान्य होगा। **इस आवेदनपत्र के अलावा मैंने किसी अन्य विद्यालय से अपना संस्थागत/व्यक्तिगत आवेदनपत्र अग्रसारित एवं ऑनलाइन नहीं कराया है। किसी प्रकार का असत्य विवरण पाये जाने अथवा मेरे द्वारा भरे हुए दो आवेदनपत्र पाये जाने की स्थिति में मेरा परीक्षार्थित्व स्वतः निरस्त समझा जाय। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी तथा इसके लिये परिषद उत्तरदायी नहीं होगा।**

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर.

दिनांक :

घर का पूरा पता(स्थायी पता)–

पत्र व्यवहार का पता–

परीक्षार्थी का मोबाइल नम्बर–

अग्रसारण विद्यालय के प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर

एवं विद्यालय की मुहर।

अग्रसारण अधिकारी का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त नाम के परीक्षार्थी /परीक्षार्थिनी जिसका फोटो मैंने सत्यापित किया है, वह परिषद के विनियमों के अन्तर्गत वर्ष 2018 की इण्टरमीडिएट परीक्षा में सम्मिलित होने योग्य है। परीक्षार्थी/परीक्षार्थिनी ने मेरे समक्ष परीक्षा आवेदन-पत्र पर हस्ताक्षर किये हैं। परीक्षार्थी/परीक्षार्थिनी ने परिषद की हाईस्कूल परीक्षा अथवा उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण कर लिया है। मैंने उसके उक्त परीक्षा के मूल प्रमाण-पत्र को देख लिया है। मैं इसके आचरण के विरुद्ध कोई बात नहीं जानता/जानती जिससे वह परीक्षा में सम्मिलित होने के अयोग्य समझा/समझी जाय। परीक्षार्थी ने वही वर्ग तथा विषय लिया जो परिषद के विनियमों के अनुसार मान्य हैं। परीक्षार्थी द्वारा उपहृत विषयों की जाँच मैंने भली भाँति कर ली है। परीक्षार्थी के विषयों का संयोजन (कम्बिनेशन) वर्गानुसार मान्य है। किसी असंगत विषय का चयन नहीं किया है। परीक्षार्थी का निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा किया जा चुका है।

दिनांक

संलग्नक–

अग्रसारण विद्यालय के प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर

विद्यालय की मुहर

परीक्षा आवेदन-पत्र भरने के लिये निर्देश

- 1– आवेदन-पत्र की समस्त सूचनायें निर्देशानुसार भरी जायेंगी।
- 2– आवेदन-पत्र के क्रम (1) से (4) की सूचनायें प्रधानाचार्य द्वारा भरी जायेंगी।
- 4– इण्टरमीडिएट व्यक्तिगत परीक्षा में सम्पूर्ण विषयों से परीक्षा में सम्मिलित होने वाले प्रत्येक परीक्षार्थी की निम्नलिखित विषय वर्गों के अनुसार 5 विषयों की परीक्षा ली जायेगी। कृषि भाग-2 हेतु छः विषय निर्धारित हैं।

निर्धारित विषय वर्ग का नाम एवं कोड: (1).मानविकी वर्ग–A (2).वैज्ञानिक वर्ग–B (3).वाणिज्य वर्ग–C
(4).कृषि वर्ग भाग–एक –F₁ (5).कृषि वर्ग भाग–दो –F₂ (6).व्यावसायिक वर्ग–I

इण्टरमीडिएट परीक्षा के विषय कोड एवं विषयों के नाम तथा वर्गानुसार विषयों का चयन

मानविकी वर्ग–A

अनिवार्य विषय– 101–हिन्दी अथवा 102–सामान्य हिन्दी, 173– खेल एवं शारीरिक शिक्षा ।

निम्नलिखित **वैकल्पिक विषयों** में से कोई चार विषय –

निम्नांकित में से एक भारतीय भाषा :-

103–संस्कृत	104–उर्दू	105–गुजराती	106–पंजाबी	107–बंगाली	108–मराठी
109–आसामी	110–उड़िया	111–कन्नड़	112–रिक्त	113–सिन्धी	114–तमिल
115–तेलुगू	116–मलयालम	121–नेपाली ।			

निम्नांकित में से एक विदेशी भाषा :-

117–अंग्रेजी ।

निम्नांकित में से एक शास्त्रीय भाषा :-

103–संस्कृत; 124–पाली; 125–अरबी; 126–फारसी ।

नोट:- मानविकी वर्ग में वैकल्पिक विषयों के रूप में दो से अधिक भाषाओं का चयन नहीं किया जा सकता है।

128-इतिहास; 129-भूगोल; 130-नागरिकशास्त्र; 131-गणित; 132-सैन्यविज्ञान; 133-मनोविज्ञान अथवा 134-शिक्षाशास्त्र अथवा 137-तर्कशास्त्र; 135-गृहविज्ञान; 136-अर्थशास्त्र; 138-संगीत(गायन) अथवा 139-संगीत(वादन) अथवा 150-नृत्यकला; 140-चित्रकला(आलेखन) अथवा 141-चित्रकला(प्रावैधिक) अथवा 149-रंजनकला; 142-समाजशास्त्र; 144-कम्प्यूटर; 145-काष्ठशिल्प अथवा 146-ग्रन्थशिल्प अथवा 147-सिलार्ड; 174-मानव विज्ञान।

विज्ञान वर्ग-B

अनिवार्य विषय- 101-हिन्दी अथवा 102-सामान्य हिन्दी, 173- खेल एवं शारीरिक शिक्षा ।

निम्नलिखित में से कोई चार विषय

151-भौतिक विज्ञान; 152-रसायन विज्ञान; 153-जीव विज्ञान; 131-गणित; 144-कम्प्यूटर; 174-मानव विज्ञान
अथवा

मानविकी वर्ग के वैकल्पिक विषयों में से विषय कोड 103 से 150 तक में से कोई एक विषय। (नोट:- यदि 131-गणित; 144-कम्प्यूटर; अथवा 174-मानव विज्ञान का चयन पहले कर लिया गया होगा तब उसका पुनः चयन मानविकी वर्ग से नहीं किया जायेगा।)

वाणिज्य वर्ग-C

अनिवार्य विषय-

101-हिन्दी अथवा 102-सामान्य हिन्दी; 156-बहीखाता तथा लेखाशास्त्र; 157-व्यापारिक संगठन एवं पत्र व्यवहार, 173- खेल एवं शारीरिक शिक्षा।

निम्नलिखित में से कोई दो विषय

158-अर्थशास्त्र तथा वाणिज्य भूगोल; 159-अधिकोषण तत्व; 160-औद्योगिक संगठन; 161-गणित तथा प्रारम्भिक सांख्यिकी; 144-कम्प्यूटर विज्ञान; 162-बीमा सिद्धान्त एवं व्यवहार;

अथवा मानविकी वर्ग के वैकल्पिक विषयों (विषय कोड 103 से 150 तक) में से कोई एक विषय।

नोट :- 158-अर्थशास्त्र तथा वाणिज्य भूगोल लेने वाले छात्र मानविकी वर्ग से 136-अर्थशास्त्र विषय का चयन नहीं कर सकेंगे।

कृषि वर्ग भाग-एक (प्रथम वर्ष परीक्षा) -F₁

अग्रांकित सभी विषय अनिवार्य हैं- 163-शस्यविज्ञान; 164-कृषि वनस्पतिविज्ञान; 165-कृषि भौतिकविज्ञान एवं जलवायुविज्ञान; 166-कृषि अभियंत्रण के तत्व; 167-कृषि गणित तथा प्रारम्भिक सांख्यिकी।

नोट :- हिन्दी अथवा सामान्य हिन्दी विषय की परीक्षा कृषि भाग-1 प्रथम वर्ष में नहीं ली जायेगी। इस विषय की परीक्षा कृषि भाग-2 (द्वितीय वर्ष) में दो वर्षीय पाठ्यक्रम के आधार पर ली जायेगी। कृषि भाग-1 के परीक्षा आवेदनपत्र में इसका उल्लेख न किया जाय।

कृषि वर्ग भाग-दो (द्वितीय वर्ष परीक्षा) -F₂

अनिवार्य विषय- 101-हिन्दी अथवा 102-सामान्य हिन्दी, 173- खेल एवं शारीरिक शिक्षा ।

अग्रांकित सभी विषय अनिवार्य हैं- 168-शस्यविज्ञान; 169-कृषि अर्थशास्त्र; 170-कृषि जन्तुविज्ञान; 171-कृषि पशुपालन एवं पशु चिकित्साविज्ञान; 172-कृषि रसायन विज्ञान।

व्यावसायिक वर्ग-I

प्रथम अनिवार्य विषय- 102-सामान्य हिन्दी (102- सामान्य हिन्दी में परीक्षार्थियों को छूट प्रदान नहीं की जायेगी) तथा

द्वितीय अनिवार्य विषय- विषय कोड 103 से 143 तक तथा 151, 152, 153, 157, 158, 160, 161, 174, 200 में से कोई एक विषय परन्तु निम्नांकित विषय कोड से सम्बन्धित विषयों को छोड़कर :-

(मानविकी वर्ग में से विषय कोड 123, 144 से 150 तक, वैज्ञानिक वर्ग में से विषय कोड 154 तथा 155 तथा वाणिज्य वर्ग में से विषय कोड 156 तथा 159)

तृतीय अनिवार्य विषय- 201-सामान्य आधारीक विषय

चतुर्थ अनिवार्य विषय- निम्नलिखित कुल 41 व्यावसायिक ट्रेड्स में से कोई एक ट्रेड :-

202-फल एवं खाद्य संरक्षण; 203-पाकशास्त्र; 204-परिधान रचना एवं सज्जा; 205-धुलाई तथा रंगाई; 206-बेकिंग तथा कन्फेक्शनरी; 207-टेक्सटाइल डिजाइन; 208-बुनाई तकनीक; 209-नर्सरी शिक्षक प्रशिक्षण एवं शिशु प्रबन्ध; 210-पुस्तकालय विज्ञान; 211-बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मिक (लेबोरेटरी तकनीक सहित); 212-रंगीन फोटोग्राफी, 213-रेडियों एवं रंगीन टेलीविजन, 214-आटोमोबाइल्स; 215-मधुमक्खी पालन; 216-डेरी प्रौद्योगिकी; 217-रेशमकीट पालन; 218-बीजोत्पादन प्रौद्योगिकी; 219-फसल सुरक्षा प्रौद्योगिकी; 220-पौधशाला; 221-भूमि संरक्षण एवं भूमि सुधार; 222-एकाउन्टेन्सी एवं अंकेक्षण, 223-बैकिंग, 224-आशुलिपि एवं टंकण(हिन्दी); 225-आशुलिपि एवं टंकण(अंग्रेजी), 226-विपणन एवं विक्रयकला; 227-सचिवीय पद्धति; 228-बीमा; 229-सहकारिता; 230-टंकण हिन्दी तथा अंग्रेजी; 231-मुद्रण; 232-कुलालविज्ञान; 233-कृत्रिम अंग एवं अवयव तकनीक; 234-इम्ब्राइडरी; 235-हैण्ड ब्लाक प्रिंटिंग; 236-मेटलकापट(मोलिडिंग); 237-मेटलकापट(इनग्रेविंग); 238-कम्प्यूटर तकनीक एवं मेन्टेनेन्स(डाटा इन्टी प्रोसेस); 239-घरेलू विद्युत उपकरणों की मरम्मत एवं रख रखाव; 240-रिटेल ट्रेडिंग; 241-सेक्योरिटी; 242-मोबाइल रिपेअरिंग; 243-टूरिज्म एण्ड हॉस्पिटैलिटी; 244-आई0टी0/आई0टी0ई0एस0 ।

पंचम अनिवार्य विषय- 173- खेल एवं शारीरिक शिक्षा।

नोट:- 1-सभी वर्गों के परीक्षार्थियों हेतु विषय 173- खेल एवं शारीरिक शिक्षा की लिखित एवं प्रयोगात्मक परीक्षा विद्यालय स्तर पर आंतरिक रूप से ली जायेगी। परीक्षार्थी द्वारा प्राप्त अंकों का अंकन उसके अंकपत्र/प्रमाणपत्र पर किया जायेगा।

2- प्रधानाचार्य से अपेक्षा है कि परीक्षार्थी द्वारा आवेदनपत्र में अंकित प्रविष्टियों का मिलान मूल अभिलेखों से करने के पश्चात् ही आवेदनपत्र पर हस्ताक्षर करें, एवं इसके पश्चात् ही इसके आधार पर परीक्षार्थियों के विवरण परिषद की वेबसाइट upmsp.edu.in पर आनलाईन अपलोड करें।

परीक्षार्थियों हेतु अत्यावश्यक / महत्वपूर्ण निर्देश

- 1- परीक्षार्थी ने एकबार जिस विषय / विषयों से इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो दुबारा उसमें परीक्षा देने की अनुमति नहीं है।
- 2- आवेदनपत्र के निर्धारित स्थान पर परीक्षार्थी का पासपोर्ट साइज का ब्लैक एण्ड व्हाइट / रंगीन फोटो लगाना अनिवार्य है।
- 3- **कोई परीक्षार्थी किसी भी दशा में दो विद्यालयों से संस्थागत / व्यक्तिगत आवेदनपत्र अग्रसारित एवं ऑनलाइन नहीं करायेगा अन्यथा उसके सभी आवेदनपत्र स्वतः निरस्त हो जायेंगे, जिसका उत्तरदायित्व सम्बन्धित परीक्षार्थी का होगा।**
- 4- विनियम-17(2) अध्याय बारह के अन्तर्गत परीक्षार्थी (कम्प्यूटर, कृषि वर्ग तथा व्यावसायिक वर्ग के विषयों को छोड़कर) अधिकतम चार विषयों में परीक्षा में सम्मिलित हो सकता है। किसी भी व्यक्तिगत परीक्षार्थी को अध्याय-12 के विनियम 17(2) के अन्तर्गत कम्प्यूटर, कृषि एवं व्यावसायिक वर्ग के विषयों में परीक्षा देने की अनुमति नहीं है।
- 5- कृषि एवं व्यावसायिक वर्ग के विषयों में केवल उन वर्गों के गत वर्ष के अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी ही व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में अपना व्यक्तिगत आवेदन पत्र भर सकेंगे।
- 6- मानविकी, वैज्ञानिक एवं वाणिज्य वर्ग में कम्प्यूटर विषय में केवल इस विषय के गत वर्ष के अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी ही व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में सम्मिलित हो सकते हैं।

नोट:- अन्य परीक्षा संस्था / परिषद की परीक्षा उत्तीर्ण किये हुये परीक्षार्थियों को अपने अर्हता सम्बन्धी मूल प्रमाण-पत्रों को अग्रसारण विद्यालय के प्रधानाचार्य के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है। जिन परीक्षार्थियों को संबंधित परीक्षा संस्था / परिषद् से उत्तीर्ण परीक्षा का मूल प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया है, उसके लिये यह आवश्यक होगा कि वह अस्थायी प्रमाण-पत्र के साथ उक्त परीक्षा संस्था / परिषद् का इस आशय का लिखित प्रमाण-पत्र दें कि उन्होंने वास्तव में उक्त परीक्षा संस्था / परिषद् की परीक्षा उत्तीर्ण की है, किन्तु प्रमाण-पत्र परीक्षा वर्ष से पूर्व की 1 जुलाई तक जारी नहीं किया गया है।

आवेदन-पत्र के संलग्नक

पूरित आवेदन-पत्र के साथ निम्नांकित प्रपत्रों की प्रधानाचार्य द्वारा प्रमाणित फोटो कापी संलग्न किया जाना अनिवार्य है :
(1)-हाईस्कूल अंक-पत्र, (2)-हाईस्कूल प्रमाण-पत्र (3) कक्षा-11 का रजिस्ट्रेशन कार्ड (4)-कक्षा-11 उत्तीर्ण करने का अंक-पत्र (5)- पत्राचार अनुसारण प्रमाण-पत्र एक वर्षीय अथवा दो वर्षीय यथास्थिति (6)-इण्टरमीडिएट परीक्षा अनुत्तीर्ण अंक-पत्र (7)-यदि विधि द्वारा स्थापित किसी अन्य परीक्षा संस्था / बोर्ड / विद्यालय से छात्र ने कक्षा-11 की परीक्षा उत्तीर्ण की है अथवा कक्षा-12 अनुत्तीर्ण हो तो उत्तीर्ण / अनुत्तीर्ण अंक-पत्र के साथ स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र की प्रमाणित फोटो कापी।

सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

प्राप्ति रसीद

मैंने परीक्षार्थी.....से उसका ऑनलाइन डाटा अपलोड करने हेतु इण्टरमीडिएट व्यक्तिगत परीक्षा वर्ष-2018 का आवेदन-पत्र, उसकी परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अर्हता सम्बन्धी समस्त आवश्यक प्रपत्र एवं परीक्षा शुल्क रु0.....नगद धनराशि के रूप में प्राप्त किया है।

दिनांक.....

प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर
विद्यालय की मुहर